न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–75/2012–13 अन्तर्गत धारा–333 ज0वि0 एवं भूमि व्य0 अधिनियम

श्री सारिक खान

–बनाम–

श्री नाजिर हुसैन आदि

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पी0के0 गर्ग।

अधिवक्तागण प्रतिपक्षी : श्री मधुसूदन शर्मा एवं श्री सोमेश डोभाल।

बावत

मौजा कांवली, परगना केन्द्रीदून,
तहसील व जनपद देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी संख्या–28/2012–13 इन्दर भूषण चट्टा बनाम सारिक खान आदि अन्तर्गत धारा–333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 04–03–2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

निगरानीकर्ता/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी बावत सम्पत्ति गाटा संख्या–1497 व 1498 रकबा 1–10–0 पुख्ता स्थित ग्राम कांवली, जनपद देहरादून का सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया जिसपर दिनांक 14–12–2012 को न्यायालय पेशकार द्वारा यह आख्या प्रस्तुत की गई ''वादी के 80 सी0पी0सी0 की अवधि पूर्ण नहीं हुई जिसके लिए वाद योजित करने हेतु छूट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र के साथ नियमानुसार तलबाना चस्पा है व खतौनी की सत्यप्रति प्रस्तुत की गई है।'' तत्पश्चात विद्वान सहायक कलेक्टर ने दिनांक 05–02–2013 को यह आदेश पारित किये ''पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उपस्थित। सुना गया। वाद दर्ज कर पक्षकारों को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी करें वादी द्वारा आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र भी दिया है। विपक्षी संख्या 29 अग्रिम तिथि तक दावी भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। वादी तथा विपक्षी संख्या 29 अग्रिम तिथि तक दावी भूमि में यथास्थिति बनाये रखेंगे। अग्रिम तिथि पर निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस न होने पर निषेधाज्ञा आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। पत्रावली दिनांक 07–03–2013 को पेश हो। '' सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करते हुए प्रतिपक्षी संख्या–30 इन्दर भूषण चट्टा द्वारा आदेश दिनांक 14–12–2012 के विरूद्व न्यायालय अपर आयुक्त, गढ़वाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जिसपर विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल

मण्डल ने आदेश पारित किया कि '' सुना वाद प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण किया जाता है। वाद दर्ज कर उभयपक्षों को नोटिस भेजा जाय। अवर न्यायालय की पत्रावली मंगाई जाय। अग्रिम आदेश तक अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 14–12–2012 का प्रभाव स्थगित रहेगा।'' इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि प्रतिवादी/उत्तरदाता द्वारा जिस आदेश दिनांक 14–12–2012 के विरूद्व अपर आयुक्त न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, वह आदेश सहायक कलेक्टर द्वारा पारित ही नहीं किया गया है। वह मात्र सम्बन्धित पेशकार की आख्या है। तद्नुसार विद्वान अपर आयुक्त द्वारा जो आदेश पारित किा गया है वह विधि विरूद्व आदेश है।

प्रतिपक्षी/उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता कथन था कि अपर आयुक्त न्यायालय में सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–02–2013 के विरूद्व ही निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो त्रुटिवश 14–12–2012 टंकित हो गई है। विद्वान सहायक कलेक्टर को निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05–02–2013 पारित करने से पूर्व प्रतिपक्षीगणों को सुना जाना आवश्यक था, अतः विद्वान अपर आयुक्त द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह उचित है।

मैंने अधीनस्थ न्यायालय/परीक्षण न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून ने दिनांक 05–02–2013 को जो अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है वह अग्रिम तिथि तक दावी भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का पारित किया गया है। धारा–229डी के प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक कलेक्टर को प्रकरण में अन्तरिम व्यादेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है। दीवानी प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम–3 में एकपक्षीय रूप से ऐसे अन्तरिम व्यादेश पारित करने की व्यवस्था है परन्तु इसी नियम के परन्तुक में यह व्यवस्था निर्धारित है कि संगत अभिलेखों के साथ ऐसे व्यादेश की सूचना विरोधी पक्ष को दी जायेगी। नियम–3ए के अन्तर्गत एकपक्षीय व्यादेश 30 दिन के भीतर निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की गई वह भी अन्तरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है, जोकि त्रुटिपूर्ण एवं विधितः पोषणीय नहीं थी। परीक्षण न्यायालय के आदेश पत्र दिनांक 07–03–2013 लगायत 25–03–2013 (त्रुटिवश 25–03–2012 लिखा गया है) के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि 229डी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण पूर्ण रूपेण नहीं हुआ है तथा अन्तरिम निषेधाज्ञा का प्रभाव आगामी नियत तिथि तक के लिए लगातार बढ़ाया जा रहा है, जो कि विधिसम्मत नहीं है।

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–03–2013 एवं विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–02–2013 स्थिर रहने योग्य नहीं हैं तथा खण्ड़नीय हैं।

आदेश

निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिनांक 04–03–2013 एवं 05–02–2013 निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मूल वाद के साथ प्रस्तुत धारा–229डी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण पक्षकारों को सुनने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त एक माह अन्दर करना सुनिश्चित करें। पक्षकार

प्रथम अवसर पर ही अपने साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अवर न्यायालयों की पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 17.03.16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।